न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 34 / 2017 जिला दौसा

1. सोनी देवी पुत्री गोरया पत्नी मंगलराम, जाति बैरवा, निवासी मूण्डिया, हाल बीडोली, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मीरा देवी पुत्री रामसहाय पत्नी पृथ्वीराज, जाति बैरवा, निवासी मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर ।
2. काली पुत्री रामसहाय पत्नी कालूराम बैरवा, निवासी धोराला, तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर ।
3. नाथी बेवा रामसहाय, जाति बैरवा, निवासी मूण्डिया, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
4. प्रेम देवी पत्नी रामकिशोर, जाति बैरवा, निवासी मूण्डिया, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा दिनांक 18.7.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट सं. 1 से 3 श्री सीताराम जाट
3. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 श्री राजकुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक 23.10.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 18.7.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मूण्डिया, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा किता 2 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा में से 1/2 हिस्से व खसरा किता 6 रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा में से 1/4 हिस्से का खातेदार भौर्या पुत्र गोर्या था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 319 ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा दिनांक 7.12.2001 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मीरा व माली पुत्रियॅा रामसहाय नाबालिग संरक्षक माता नाथी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नाथी बेवा रामसहाय के नाम तस्दीक किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 से व्यथित होकर मृतक खातेदार भौर्या की बहिन सोनी पुत्री गौर्या द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष दिनांक 24.3.2014 को मियाद बाहर पेश की थी जिसे उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने निर्णय दिनांक 28.7.2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वारिसान की विधिवत जॅाच कर पुनः निर्णय पारित करें ।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 28.7.2015 द्वारा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार लालसोट ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को सुनकर , बयान आदि लेकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.7.2017 द्वारा मृतक रामसहाय का पारिवारिक सजरे में गोरा पुत्र हरदेवा के एक पुत्र भौर्या व पुत्री सोनी व भोर्या के दत्तक पुत्र रामसहाय के नाथी विधवा, मीरा व काली पुत्रियॅा होना बताये जाने पर भौर्या ने अपने जीवनकाल में ही रामसहाय को गोद लेने की लिखावत 1 रूपये के स्टाम्प पर तहरीर की थी । रामसहाय की मृत्यु भौर्या के जीवनकाल में होने से रामसहाय की मृत्यु उपरान्त उसकी भूमि का नामांतरकरण दिनांक 7.12.2001 को नाथी, मीरा व काली के नाम तस्दीक हुआ था जिसका सोनी देवी को भली भांती पता था , उसकी सहमति थी । पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 7.12.2001 को प्रशासन गॅावों के संग अभियान में मजमे आम में जॅाच करने पर रामसहाय को गोद लेना अंकित किये जाने एवं भौर्या का वारिस रामसहाय होना अंकित किया गया । उपलब्ध रिकार्ड व ग्रम मूण्डिया के नामांतरकरण 319 के अवलोकन से जाहिर हुआ कि भौर्या ने अपने जीवनकाल में ही रामसहाय को गोद लिया था जो नामांतरकरण में दर्ज सजरे से प्रमाणित है । सोनी को सम्पूर्ण रिकार्ड की जानकारी होने के बावजूद 13 साल बाद अपील की थी एवं भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हो चुका था । ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा कौरम के समक्ष तस्दीक किये जाने , भौरया की मृत्यु 16.5.1988 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रमाणित होने एवं नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 को 13 वर्ष बाद दर्ज किये जाने एवं अपीलान्ट सोनी द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने जिससे वह मृतक भौर्या की वारिस घोषित की जाती । नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हुये ग्रम मूण्डिया का नामांतरकरण संख्या 319 पर पारित आदेश 7.12.2001 यथावत रखा गया ।

तसीलदार लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 18.7.2017 के खिलाफ अपीलान्ट सोनी पुत्री गोर्या द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करने की आज्ञा पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार भौर्या पुत्र गोर्या था, जो नाऔलाद फौत हुआ था । मृतक खातेदार भौर्या की एकमात्र बहिन अपीलान्ट सोनी देवी पुत्री गौर्या है जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विधिक उत्तराधिकारी है । ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा भौर्या की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण में भौर्या की खास बहिन को छोडकर रामसहाय की पुत्रियॅा एवं विधवा के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलान्ट सोनी देवी की अपील स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया था, लेकिन तहसीलदार लालसोट ने खारिज नामांतरकरण को बहाल रखने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था रामसहाय का भौर्या से कोई सम्बन्ध नहीं था तथा न ही भौर्या ने रामसहाय को कभी गोद लिया जबकि रामसहाय पुत्र देवा है । उनका कहना था कि रामसहाय की पुत्रियॅा व पत्नी मौखिक साक्ष्य में स्वीकार करती है कि भौर्या नाऔलाद फौत हुआ था व रामसहाय भौर्या के कभी गोद नहीं गया एवं उसके एक मात्र बहिन सोनी देवी है । रामसहाय के मृत्यु प्रमाण पत्र में रामसहाय पुत्र भौरी लाल अंकित है, जो अपने आप में विरोधाभासी

है । उनका कहना था कि विवादित भूमि में से रेस्पोंडेन्ट काली द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय रेस्पोंडन्ट संख्या 4 प्रेम देवी को किया गया है जबकि विक्रेता काली नाबालिगथी एवं प्रथमतः नाबालिक को विक्रय के अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 प्रेम देवी जो कि विवादित भूमि की क्रेता है, को लाभान्वित करने की दृष्टि से अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो प्रकरण के तथ्यों एवं कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि गोर्या पुत्र हरदेवा के भौर्या व सोनी पुत्र और पुत्री में से भौर्या नाऔलाद फौत हो गया था । मृतक खातेदार भौर्या ने रामसहाय को विधिवत गोद लिया था एवं रामसहाय की मृत्यु भौर्या के जीवनकाल में ही हो गई थी । रामसहाय के दो पुत्रियॉ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मीरां व काली तथा विधवा पत्नि रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 नाथी विधिक वारिस होने से उनके नाम भौर्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 319 ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा तस्दीक किया था । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होने के बाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 काली ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 प्रेम देवी को दिनांक 18.9.2006 को आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 22 बीघा 2 में से काली पुत्री रामसहाय का सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया ओर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 प्रेम देवी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हो गया । उनका कहना था कि भौर्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा पंचायत कौरम में बाद जॉच रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम तस्दीक किया था तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी लालसोट से तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार लालसोट द्वारा सभी पक्षों को सुना जाकर एवं साक्ष्य सबूत एवं बयानात आदि लेकर बाद जॉच अपीलाधीन आदेश पारित किया है कि भौर्या ने अपने जीवनकाल में ही रामसहाय को गोद लिया था , जो नामांतरकरण में दर्ज सजरे से प्रमाणित है । सोनी को सम्पूर्ण रिकार्ड की जानकारी होने के बावजूद 13 साल बाद अपील की थी एवं भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हो चुका था । ग्रम पंचायत श्रीमा द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण कौरम के समक्ष तस्दीक किये जाने , भौरया की मृत्यु 16.5.1988 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रमाणित होने एवं अपीलान्ट सोनी द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने जिससे वह मृतक भौर्या की वारिस घोषित की जाती । नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हुये ग्रम मूण्डिया का नामांतरकरण संख्या 319 पर पारित आदेश 7.12.2001 यथावत रखा गया । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 प्रेम देवी के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 ने भूमि की रेकार्डेड खातेदार काली से उसके हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 का नाम जरिये नामांतरकरण राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो चुका है । उनका कहना था कि वर्ष 2006 में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 काली से भूमि क्रय करने के बाद अपीलार्थी सोनी द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 को हैरान व परेशान करने की नियत से उसे पक्षकार बनाये बिना ही उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष दिनांक 25.3.2014 को प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 के

पित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खिलाफ अपील प्रस्तुत की थी , को निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित था । उप खण्ड अधिकारी से प्रकरण तहसीलदार लालसोट को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड होने पर तहसीलदार ने उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2017 पारित कर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 को यथावत रखा है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि यदि अपीलान्ट को विक्रय पत्र के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उन्हें विक्रय पत्र के खिलाफ सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिये थी । ग्र्राम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार भौर्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण उसके दत्तक पुत्र रामसहाय जो भौर्या के जीवनकाल में ही फौत हो गया था, की पुत्रियॅा एवं विधवा पत्नि के नाम बाद जॅाच तस्दीक किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश से यथावत रखा है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार भौर्या के नाऔलाद फौत होने पर ग्र्राम पंचायत श्रीमा द्वारा भौर्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 को गोद पुत्र रामसहाय की पुत्रियॅा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 मीरा व काली तथा विधवा पत्नि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 नाथी के नाम तस्दीक किये जाने के संबंध में हैं । अपीलान्ट सोनी देवी मृतक खातेदार भौर्या की बहिन होने के आधार पर भौर्या की भूमि अपने नाम कराना चाहती है । मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार भौर्या की मृत्यु दिनांक 16.5.1988 को होने के पश्चात् उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 को 13 साल के बाद तस्दीक हुआ ओर उसके खिलाफ अपीलान्ट की 13 साल बाद दिनांक 25.3.2014 को प्रस्तुत अपील उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 28.7.2015 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वारिसान की विधिवत जॅाच कर पुनः निर्णय पारित करें , जिसकी अनुपालना में तहसीलदार लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2017 पारित किया कि भौर्या ने अपने जीवनकाल में ही रामसहाय को गोद लिया था जो नामांतरकरण में दर्ज सजरे से प्रमाणित है । सोनी को सम्पूर्ण रिकार्ड की जानकारी होने के बावजूद 13 साल बाद अपील की थी एवं भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हो चुका था । ग्र्राम पंचायत श्रीमा द्वारा नामांतरकरण कौरम के समक्ष तस्दीक किये जाने, भौरया की मृत्यु 16.5.1988 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से प्रमाणित होने एवं नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 को 13 वर्ष बाद दर्ज किये जाने एवं अपीलान्ट सोनी द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने जिससे वह मृतक भौर्या की वारिस घोषित की जाती । नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हुये ग्र्राम मूण्डिया का नामांतरकरण संख्या 319 पर पारित आदेश 7.12.2001 यथावत रखा गया ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के मृतक खातेदार भौर्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्र्राम पंचायत द्वारा भौर्या के दत्तक पुत्र रामसहाय जो भौर्या के जीवनकाल में ही फौत हो गया था, की पुत्रियॅा एवं विधवा पत्नि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम तस्दीक किया है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 काली पुत्री रामसहाय द्वारा उसके हिस्से की भूमि का विक्रय रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 प्रेम देवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.9.2006 द्वारा किया गया है तथा इस रजिस्टर्ड विक्रय

पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 424 तहसीलदार लालसोट द्वारा 28.10.2006 केता प्रेम देवी के नाम स्वीकृत किया जा चुका है । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो चुका है जिसे नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही के माध्यम से विलोपित नहीं किया जा सकता । प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही के माध्यम से अपीलान्ट के हक हकूकों का निर्धारण नहीं हो सकता । मृतक खातेदार भौर्या की भूमि मे यदि अपीलान्ट के कोई हक हकूक बनते हैं वे सक्षम न्यायालय में जरिये वाद साक्ष्य , सबूत, गवाहो के बयानो के आधार पर तय होगें । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार भौर्या के दत्तक पुत्र रामसहाय की पुत्रियॅा एवं विधवा पत्नि होने से तथा रामसहाय भौर्या के जीवनकाल में ही फौत होने से भौर्या की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 319 दिनांक 7.12.2001 ग्रम पंचायत द्वारा उनके नाम तस्दीक किया है जिसे तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2017 से यथावत रखा है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं होहने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 23.10.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर